

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

सिंचाई अंचल, भभुआ

Email – seicbhabhua@gmail.com

पत्रांक :-

/भभुआ, दिनांक :-

भाड़े पर वाहन रखने हेतु पुर्न अति अल्पकालीन कोटेशन दर आमंत्रण सूचना

संख्या 02/2026-2027

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता है कि सिंचाई अंचल, भभुआ कार्यालय के विभिन्न विभागीय कार्यों के सम्पादन, योजनाओं एवं नहरों का निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों/विभाग के बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु 01 अदद स्कॉर्पियों के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फार्म से मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। सभी कोटेशन दाताओं द्वारा दर संबंधित मुहरबंद लिफाफा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.06.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक अंचलीय कार्यालय में निर्धारित है। अति अल्पकालीन कोटेशन दर आमंत्रण सूचना संख्या 02/2026-2027 को खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.06.2026 के अपराहन् 3:30 बजे है।

वाहन की विवरणी :-

क्र०सं०	कार्यालय उपयोग हेतु	अदद	अवधि	प्रतिमाह दर
1	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ	01	2026-27 (31 मार्च 2027 तक)	

शर्तें निम्नवत है :-

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।
3. भाड़े पर दिया जाने वाला वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए, इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI) से कराकर प्रस्तुत करना होगा।
4. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाला व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी0एस0टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायगा।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।

9. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
10. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
11. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 2,3,5 एवं 6 से सम्बंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 18-06-2026 को 3:30 बजे अपराह्न में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय (जिला-कैमूर) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. वाहन का किराया प्रति माह वाहन के विवरणी के अनुसार (स्कॉपियो/25500 मात्र प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्धृत दर (लागु सभी कर) में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध किया जाएगा।
13. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।
14. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

हो/-

अधीक्षण अभियंता
सिंचाई अंचल, भभुआ

पत्रांक1431...../ भभुआ, दिनांक08/06...../2026

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

08/06/26

अधीक्षण अभियंता
सिंचाई अंचल, भभुआ

08/06/26